

आर. सी. प्रपत्र -11

[देखे नियम -33(1)]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता , 2006 की धारा 34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट

सेवा में ,

श्रीमान तहसीलदार

तहसील---

जिला- --

1- आवेदक का नाम -----

पिता का नाम-----

पता -----

2- हस्तान्तरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण – गाटा संख्या ----- क्षेत्रफल ----- भू – राजस्व -----

3- अन्तरण कर्ता का नाम-----

पिता का नाम -----

पता -----

4 - अंतरितियों का नाम- (यदि कोई हो )-----

पिता का नाम -----

पता -----

5-हस्तांतरण की प्रकृति ( बिक्री / दान इत्यादि )----

6- अंतरण विलेख के निबंधन एवं उनके निष्पादन की तिथि ----

7- प्रतिफल की धनराशी –

8- कोई अन्य विवरण ---

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर